

FOIL

अपने पास रख ले।
attached and kept
the Sender.

SP EM 0540

(A-1)

18



ANUSHAKTI NAGAR (400094)
SP EM 0540 299301 N
Counter No:1, DP-Code:06
To: DIST HOMEOPATHIC OFF, DHO
Kheri, PIN:262701

From: S K TIWARI, 15 ALMORA ASHAGAR MUMBA
Wt: 15 grams,
Article No., 20/05/2009, 00:1A
Taxes: Rs. 3.00 <<Have a nice day>>

पोस्टल आर्डर
रुपए 20.00 Rs.
POSTAL ORDER

FORM 'A'

Form of application for seeking

(See rule 3)

किससे अदा करना
To whom payable
DHO - Kheri
262701
किस डाकघर में
At what Office Kheri
क्या इसे क्रास किया है
Whether crossed No
भेजने की तारीख
Date sent 18.5.2009

Public Information Officer (PIO)
District Homeopathic Officer, (DHO)
IMPUR-KHERI (U.P.) PIN-262701.

69F 595004

- Name of the Applicant : SURENDRA KUMAR TIWARI
- Address : 15-C, ALMORA, ANUSHAKTI-NAGAR MUMBAI-400094
- Information sought :- As per enclosed Annexure herewith

(Details should include separate paras for each information sought)
I state that information sought does not fall within the restrictions contained in the Section 8 & 9 of the Act and to best of my knowledge it pertains to your office.

This is to certify that I, SURENDRA KUMAR TIWARI son of SRI BRAJ KUMAR TIWARI, am a citizen of India.

A fee @ of Rs Twenty has been deposited in cash / vide postal order No. / Demand draft no. 69F 595004 drawn on Post office/Bank Anushakti-Nagar Mumbai-400094.

(No fees would be charged from the persons below poverty line)

Place : ANUSHAKTI-NAGAR- MUMBAI
Date : 18.05.2009

18-5-2009
(Surendra Kumar Tiwari)
Signature of Applicant

Email : neelkamal2008@hotmail.com

Tel No. (Office) : 022-25994411
(Res) MOBILE: 09969680100
Postal Address : SURENDRA KUMAR TIWARI
15-C, ALMORA, ANUSHAKTI-NAGAR
MUMBAI-400094

Note : Please ensure that the Forma A is complete in all respect and there is no ambiguity in providing the details of information required.


- (1) जिला होम्योपैथिक अधिकारी, खीरी (DHO) का मुख्यालय क्या लखीमपुर में स्थित है तथा क्या वह मुख्यालय पर ही रहते हैं या प्रतिदिन अपने घर दूसरे जिले में आते जाते हैं। अगर हाँ तो क्या मुख्यालय में न रहने की अनुमति उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से प्राप्त की है।
- (2) DHO महोदय को जिला अस्पताल होम्योपैथिक चिकित्सालय खीरी के नियंत्रक अधिकारी के अधिकार कहाँ तक प्राप्त हैं।
- (3) आपके कार्यालय में डा० श्रीमती कृष्णा तिवारी के पत्र प्राप्त की रसीद आपके कार्यालय सहायक श्री खालिद द्वारा क्यों नहीं दी जाती है। वह प्राप्त रसीद DHO महोदय तथा DHO महोदय प्राप्त रसीद श्री खालिद पर डालते हैं। केवल एक ही पत्र छोड़कर जिसे DHO महोदय के आदेश पर श्री खालिद ने प्राप्त रसीद दी, पत्र लेने से इनकार कर देते हैं। DHO महोदय कार्यालय जाए निकालकर इसकी सूचना डा० श्रीमती कृष्णा तिवारी को क्यों नहीं देते हैं।
- (4) DHO, खीरी महोदय ने किन कारणों से दिनांक 01.05.2009 को 11 बजे डा० श्रीमती कृष्णा तिवारी की डिस्पेंसरी जाकर स्टैल कप बोर्ड की तलाशी ली। क्या इसके हेतु वह सक्षम अधिकारी थे तथा तलाशी लेने के बाद तलाशी रिपोर्ट की सूचना डा० श्रीमती कृष्णा तिवारी को क्यों नहीं दी। कृपया शिकायत प्रति जिस पर DHO ने कार्यवाही की उपलब्ध करावे तथा तलाशी रिपोर्ट की प्रति भी उपलब्ध करावे।
- (5) क्या आपको आवेदक ने मौखिक शिकायत श्री खालिद, कार्यालय सहायक फार्मिसिट के बारे में निम्न मुद्दों पर की ;

- (अ) सामान्य भविष्य निधि निकासी पर श्री खालिद द्वारा 40% घूस (Bribe) की माँग
- (ब) दृढ़ वित्त आयोग के शरिफर की निकासी पर घूस (Bribe) की माँग
- (स) अवकाश प्रार्थना पत्र व अन्य पत्रों की प्राप्त रसीद देने पर घूस की माँग
- (द) उपार्जित अवकाश पर जाने व उपभोग करने पर घूस की माँग
- (घ) गुप्त GPF अंशदाने की इन्ट्री न होने पर दिये प्रार्थना पत्र को स्थापना उचित माध्यम से भेजने पर घूस की माँग

श्री खालिद का कहना है कि इस प्रकार प्राप्त घूस (Bribe) की धन राशि वह अपने उच्च अधिकारियों के कहे पर लेते हैं। चूँकि डा० श्रीमती कृष्णा तिवारी ने घूस (Bribe) देने से इनकार कर दिया अतः DHO आफिस द्वारा जिला होम्यो. चिकित्सालय के कार्यों में दखलबंदगी व उसके स्टाफ को भड़काया जाता रहा है तथा डा० तिवारी को घूस देने हेतु दायित्व किया जाता रहता है। उनके निम्न पत्र उपलब्ध है।

नूपमा सूचित करें कि डा० श्रीमती कृष्णा तिवारी के (A-3) 20
को आप चिकित्सालय में कार्यरत स्टाफ श्री राम कुमार अवस्थी को
कार्यालय में बंधे रखा। क्या इससे चिकित्सालय द्वारा प्रदत्त जन
सेवाओं पर प्रभाव नहीं पड़ा।

- 7- पूर्व जमारी चिकित्साधिकारी, जिला होम्यो चिकित्सालय, जिला अस्पताल खीरी
के कार्यकाल में लेवी/रजिस्ट्रेशन का धन कार्यालय से चोरी हुआ
था कृष्णा जॉच रिपोर्ट व उसकी अन्तिम/फाइनल रिपोर्ट की
प्रतिरूपी उपलब्ध करने की कृपा करें।
- 8- क्या आपको डा० श्रीमती कृष्णा तिवारी ने सूचित किया था कि
श्री राम कुमार अवस्थी फार्मेसिस्ट ने शिववार को बिना उनकी
सूचना के ताला खोलकर कार्यालय सामग्री अपने घर ले गये हैं
और आपने उस पर क्या कार्यवाही की।
- 9- जो दवाये एवं सामग्री आपके कार्यालय के श्री खालिद फार्मेसिस्ट
द्वारा जिला होम्यो चिकित्सालय के श्री राम कुमार अवस्थी फार्मेसिस्ट
को सीधे इसू कर दी जाती है उसकी लिखित authentication
सूचना क्या डा० श्रीमती कृष्णा तिवारी को आपके कार्यालय से
दी जाती है।
- 10- आपके (DHO महोदय) व डा० श्रीमती कृष्णा तिवारी द्वारा जब
दवाओं के consumption हेतु निरीक्षण में Graphites का स्टॉक
एवं मरीजों की संख्या चेक की गई तो पाया गया कि केवल
लगभग 10 मरीजों में 300 मरीजों की आवश्यकता की दवा consume
दिखा दी गई है। इस पर आपने श्री आर० के० अवस्थी
फार्मेसिस्ट के विरुद्ध क्या कार्यवाही की। जब एक दवा के
निरीक्षण में इतना अन्तर आ रहा है तो बाकी दवाओं के
दुरुपयोग को कैसे नकारा जा सकता है। श्री अवस्थी को इस
द्वारा किये इस दखना की जॉच का आदेश आप कमेरी से क्यों
नहीं कराते हैं।
- 11- पूर्व में भी DHO द्वारा अवकाश प्रार्थना पत्र डा० श्रीमती कृष्णा तिवारी
से लेकर प्रार्थन रसीद न देने के अन्तिम समय में अवकाश मना
कर दिया जाता है जिसे रिजर्वेशन आदि कौन्सिल कराना पड़ा तथा
अन्य राई की धानि हुयी। अवकाश निवेदन प्रार्थना पत्र Advance में लेकर
अवकाश स्वीकृत की सूचना समय पर डा० तिवारी को क्यों नहीं दी
जाती। आवेदित अवकाश जो Advance में दिया हो की स्वीकृति न करने पर
अर्जित अवकाश Lapse होने पर स्वीकृत अधिकारी को जिम्मेदार क्यों न
समझा जाय।


(S.K. Tiwari)